



Neutral Citation No. - 2026:AHC:161714

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या 21537/2026

सुभाष चंद

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 13 अन्य

..... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : अर्पित कुमार, शगुन के. सरन

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : आन्या वर्मा, आलोक सक्सेना, सी.एस.सी., सुनील कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 37

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अर्पित कुमार, प्रत्यर्थी संख्या 4 की विद्वान अधिवक्ता सुश्री अनन्या वर्मा की सहायता से विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक सक्सेना, राज्य के विद्वान

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



स्थायी अधिवक्ता श्री श्रीधर त्रिपाठी तथा गांव सभा के प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार सिंह को सुना गया।

2. वर्तमान याचिका निम्नलिखित अनुतोष के लिए दाखिल की गई है:-

"(i) उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए अभिलेख मंगाया जाए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अंतर्गत आयुक्त, मेरठ मंडल द्वारा वाद संख्या 898/2026, कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या सी202611000000898 में पारित दिनांक 28.4.2026 के आक्षेपित आदेश (राजकुमारी बनाम सुभाष चंद) को निरस्त किया जाए।

(ii) उपयुक्त आदेश, रिट या निर्देश जारी करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2/आयुक्त, मेरठ मंडल, मेरठ को आदेशित किया जाए कि याचिकाकर्ता/कैविएटर को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करने के पश्चात् और विधि के अनुसार कारणयुक्त आदेश पारित करके ही पुनरीक्षण पर विचार करें और उसका निर्णय करें।"

3. दिनांक 9.7.2026 को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

"1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य प्रत्यर्थियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री श्रीधर त्रिपाठी तथा भूमि प्रबंध समिति के प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार सिंह को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता की ओर से दाखिल जोत के विभाजन के वाद में न्यायालय द्वारा एक अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान की गई थी, जिसमें पक्षकारों को विवादित भूमि की प्रकृति परिवर्तित न करने का निर्देश दिया गया था

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



तथा पक्षकारों द्वारा किसी तृतीय पक्ष का हित भी सृजित नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त वाद के लंबित रहने के दौरान, प्रत्यर्थी संख्या 11 ने उपर्युक्त वाद में पारित अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 4 के पक्ष में पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित किया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 2-क के अंतर्गत उप-विभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल किया है, जिसे आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रतिवादियों को उस निर्माण को हटाने का निर्देश दिया गया है, जो निषेधाज्ञा आदेश के बावजूद उनके द्वारा किया गया है तथा प्रश्नगत भूखंड के संबंध में यथास्थिति-विरोधी स्थिति बनाए रखी गई है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उप-विभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी संख्या 4 ने एक पुनरीक्षण दाखिल किया, जिसमें आयुक्त के समक्ष कैविएट दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को अवसर प्रदान किए बिना अंतरिम आदेश पारित किया गया है, जो अवैध है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि विद्वान आयुक्त द्वारा पारित अंतरिम आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि उप-विभागीय अधिकारी द्वारा अधिकारिता के प्रयोग में कोई अवैधता नहीं है।

3. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा दाखिल पुनरीक्षण को ग्रहण करने में कोई अवैधता नहीं है, क्योंकि कैविएटर के अधिवक्ता को पर्याप्त सूचना दिए जाने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ, तदनुसार आयुक्त ने पुनरीक्षण को ग्रहण किया और अंतरिम संरक्षण प्रदान किया।

4. प्रत्युत्तर में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने याचिका के अनुच्छेद संख्या 19 में किए गए अभिकथन को यह प्रदर्शित करने के लिए प्रस्तुत किया कि पुनरीक्षण में दिनांक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



21.4.2026 का अंतरिम आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया था।

5. मामला विचार किए जाने की अपेक्षा रखता है।

6. राज्य के प्रत्यर्थियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री श्रीधर त्रिपाठी प्रत्यर्थी संख्या 2 से इस संबंध में निर्देश प्राप्त करेंगे कि प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा दाखिल पुनरीक्षण में कैविएटर के अधिवक्ता को किस प्रकार सूचित किया गया था।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 4 को न्यायालय के बाहर व्यक्तिगत रूप से भी नोटिस तामील कराएंगे और मामले में नियत अगली तारीख तक तामील का शपथपत्र दाखिल करेंगे।

8. इस मामले को 23.7.2026 को प्रस्तुत किया जाए।

9. कार्यालय याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को एक सप्ताह के भीतर दस्ती आदेश जारी करेगा।"

4. इस न्यायालय के दिनांक 9.7.2026 के आदेश के अनुपालन में, प्रत्यर्थी संख्या 4 ने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अंतर्गत प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से दिनांक 21.4.2026 को पारित उस आदेश के विरुद्ध दाखिल पुनरीक्षण, जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के अंतर्गत कार्यवाही से उत्पन्न सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 2(क) के अंतर्गत कार्यवाही में

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पारित किया गया है, पोषणीय नहीं है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने उप-विभागीय अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 21.4.2026 के आदेश के विरुद्ध आयुक्त के समक्ष कैविएट दाखिल किया है, किंतु याचिकाकर्ता अथवा उसके अधिवक्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना आयुक्त द्वारा अंतरिम आदेश प्रदान किया गया है, जो अवैध है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि चूंकि पुनरीक्षण पोषणीय नहीं है, अतः पुनरीक्षण में अंतरिम आदेश प्रदान नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पुनरीक्षण में अंतरिम संरक्षण प्रदान करने वाले आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाना चाहिए और प्रत्यर्थी संख्या 2/आयुक्त को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् पुनरीक्षण का निर्णय करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि कैविएटर के अधिवक्ता को पुनरीक्षण में सूचित किया गया था और कोई भी पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, तदनुसार पुनरीक्षण पर सुनवाई की गई, उसे ग्रहण किया गया और यथास्थिति बनाए रखने हेतु अंतरिम आदेश पारित किया गया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि निर्माण को ध्वस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के अंतर्गत कार्यवाही से उत्पन्न सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 2(क) के अंतर्गत पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण दाखिल किया गया था, अतः पुनरीक्षण में अंतरिम आदेश अत्यंत आवश्यक था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को इस न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दाखिल करने के बजाय आयुक्त के समक्ष उपस्थित होना चाहिए। उन्होंने आगे सर्वोच्च न्यायालय के (2008) 1 एएनडीएचएलटी (आपराधिक) 455 में प्रकाशित निर्णय, जगवीर सिंह और अन्य बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), पर अपने तर्क के समर्थन में भरोसा किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल रिट याचिका खारिज की जानी चाहिए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, गांव सभा के प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का परिशीलन किया है।

8. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अंतर्गत दाखिल पुनरीक्षण प्रत्यर्थी संख्या 2, आयुक्त के समक्ष लंबित है और पक्षकारों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।

9. रिट याचिका में यह अभिकथन किया गया है कि पुनरीक्षण में याचिकाकर्ता अथवा उसके अधिवक्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया है, अतः पुनरीक्षण में प्रदान किए गए अंतरिम आदेश को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए।

10. चूंकि याचिकाकर्ता यह पक्ष ले रहा है कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है और प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता यह पक्ष ले रहे हैं कि कैविएटर को सूचना दी गई थी, किंतु कोई भी पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, अतः न्याय के हित में यह आवश्यक है कि याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के साथ-साथ पुनरीक्षण की पोषणीयता का आधार लेते हुए दिनांक 28.4.2026 को पारित आदेश को वापस लिए जाने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष नया आवेदन दाखिल करना चाहिए, जिस पर आयुक्त द्वारा विधि के अनुसार विचार किया जाएगा।

11. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, याचिकाकर्ता को निर्देशित किया जाता है कि वह आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष दिनांक 28.4.2026 के आदेश के विरुद्ध उसे वापस लिए जाने हेतु आवेदन दाखिल करे। प्रत्यर्थी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



संख्या 2, आयुक्त, मेरठ मंडल, मेरठ को निर्देशित किया जाता है कि वह दोनों पक्षों को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, पुनः आदेश लिए जाने हेतु आवेदन दाखिल किए जाने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के पुनः आदेश लिए जाने संबंधी आवेदनों पर विचार करे और उनका निस्तारण करे।

12. रिट याचिका का तदनुसार निस्तारण किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

3 अगस्त, 2026

वंदना वाई.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”